136

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्रं./ निग 3443-2/16 सन् 2016

किसना तनय भरोसा कोंदर

निवासी बरकोंहा तहसील व जिला छतरपुर

तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. हाल निवास मंडला

जिला पन्ना म.प्र. ------------------ आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0 -------------------अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1957

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय

छतरपुर के प्रकरण कंमाक 22/अ–21/15–16

आदेश दिनांक 28.7.2016

महोदय,

निगरानीर्का की ओर से निम्न विनय पेश है।

1– यह कि भूमि खसरा नं. 1326/2 रकवा 1.575 है0 स्थित मौजा बरकौंहा तह0 व जिला छतरपुर की भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है।

2– यह कि उक्त भूमि का पट्टा आवेदक के चाचा करिया तनय पिरवा कोंदर के वास्ते कृषि कार्य हेतु वर्ष 1976–77 से 1985–86 तक प्राप्त हुआ था बाद मे राजस्व पुस्तक परिपत्र दिनांक 27.6.1984 के अनुसार पूर्व के समस्त पट्टाधारियों से भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने से उक्त भूमि भूमि स्वामी हक पर इन्द्राज हो गयी थी।

3– यह कि पूर्व पट्टेदार किसना तनय पिरवा कोंदर निःसंतान था जिसकी मृत्यु आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है आवेदक एकमात्र वारिस होने के कारण उक्त भूमि का नामांतरण पंजी क्रमांक 15 आदेश दिनांक 10.3.2010 के अनुसार हो गया था किन्तु राजस्व अभिलेख मे विक्रय से प्रतिबंधित की प्रविष्टि दर्ज है जबकि आवेदक उक्त भूमि का भूमि स्वामी है।

4– यह कि उक्त भूमि ऊबड़–खाबड़ व पथरीली है जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था जिस कारण वह कोई समय से स्थायी रूप से ग्राम मंडला जिला पन्ना मे परिवार सहित निवास करता है। बरकोहा से दूरी 80 KM है।

5– यह कि अन्य गॉव मे निवास होने के कारण आवेदक व उसके परिवार ग्राम बरकौहा नहीं आ पाता है जिस कारण उक्त भूमि के विक्रय करके प्राप्त प्रतिफल से वर्तमान निवास मे परिवार के हितों को ध्यान मे रखकर अन्य कृषि भूमि अथवा कोई धंधा आदि करना चाहता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3443-एक/16 जिला - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
07-10-16	आवेदक की ओर से चंद्रेश श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण आज दिनांक को आदेश हेतु नियत है प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओ के तर्क श्रवण किये जाकर अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । आवेदक के द्वारा भूमि आ नं 1326/2 रकवा 1.575 है0 स्थित मौजा बरकौहा तह0 व जिला छतरपुर के भूमि की विक्रय अनुमित हेतु अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष धारा 165 (7(ख) म.प्र.भू.रा.स. 1959 के तहत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उक्त भूमि का पटटा आवेदक के चाचा करिया तनय पिखा कोंदर को उक्त भूमि स्वमी का सन् 1976-77 से 1986-87 तक के लिये प्राप्त हुआ था जिसमे वाद मे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके है आवेदक के चाचा नि संतान थे जिनकी मृत्यु आज से करीब 20 वर्ष पूंर्व हो चुकी है उसके नाम उक्त भूमि नामातरण पंजी क्रं 15 आदेश दिनांक 10.3.2010 के अनुसार किया जा चुका है । उक्त भुमि उबड खाबड व कृषि योग्य न होने तथा परिवार सहित ग्राम बरकौहा से 80 कि0मी0 दूर ग्राम मडला जिला पन्ना मे लम्बे समय से स्थायी रूप से निवास करता है जिस कारण पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त होने तथा परिवार की आवश्यकताओ एंव वर्तमान निवास से अधिक दूरी होन के कारण विक्रय की अनुमति दी जावे किन्तू अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन निरस्त करने से व्यथित होकर उपरोक्त आधारो पर ही यहा निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश कर विक्रय अनुमति देने बावत निवेदन किया हे शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी के स्वीकार किये जाने का विरोध किया है ।	

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेखो यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि का पट्रटा सन् 1976 -77 मे प्राप्त हुआ था जिसमे उसके भुमि स्वामी अधिकारी प्राप्त हेा चुके है धारा 165 (7)(ख) म.प्र.भू.रा.सं 1959 अधिनियम क्रमांक15 सन् 1980 से संशोधन उपरान्त अंत: स्थापित की गई है । जिसमे भूतलक्षी प्रभाव लागू नही किया । इसी प्रकार धारा 158(3) दिनांक 28.10.1992 के संशोधन उपरान्त अंतरस्थापित की गई है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दष्टांत आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 बनाम म.प्र शासन व एक अन्य राजस्व निर्णय 2013 पेज 8 मे यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 165 (7-ख) भूतलक्षी प्रभाव नही होने की वजह से विक्रय की अनुमति की आवश्यकता नही है । इसी आशय का न्याय द्रष्टांत इस न्यायालय द्वारा राजस्व निर्णय 2011 दयाराम बनाम हरेराम पेज 426 मे अवधारित किया जा चुका है इसके अतिरिक्त यह भी कि आवेदन ग्राम बरकौहा मे जहॉ की उक्त भूमि स्थित है से 80 कि मी दूर निवास करता है उक्त भूमि पथरीली या कृषि योग्य नही है तथा प्रतिफल पर्याप्त मिल रहा है एवं वर्तमान दुरी से उक्त भूमि पर कृषि करना संभव नही है आदि कारण विक्रय की अनुमति प्रदान करने हेतु एक समुचित आधार है किन्तु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा उक्त तथ्यो पर विचार न करते आवेदक का आवेद निरस्त करने का विधि विपरीत आदेश दिनांक 28.7.2016 पारित किया है । जो कि निरस्त किया जाता है तथा मामले की परिस्थितियो एवं विधिक तथ्यो के आलोक मे आवेदक को भूमि आराजी नं 1326 /2 रकवा 1.575 है स्थित मौजा बरकौंहा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि का विक्रय प्रदान की जाती है उप पंजीयक सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने की जॉच करके विधि रूप से विक्रय पत्र निष्पादित करना सुनिश्चित करे ।

सदस्य